

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10


TEN
RUPEES

Rs.10



INDIA NON JUDICIAL

10AA 591522



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND


समस्त रिटिंग अधिकारी

S6 लालकुआं निकाचरु देहा

श्रीपथपहा

श्रीपथकरी - नवीनचतु दुम्का फुहा श्री उम्कासल

नीरज



प्रसं 26

(नियमक देखिए)

56 राजकुआ निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग

ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र

में, सतीश चन्द्र दुग्गा पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री अनन्ता देवी जिला मैनीसाल

आयु 57 वर्ष, जो ग्राम बनेरा बंगार जिला लखीमपुर खीरी निवासी हूँ

और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ / शपथ पर निम्नलिखित

रूप में कर्त्तव्य करता हूँ / करती हूँ :-
R.M.F. 1-1-2012
अभियुक्त/नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी)

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं X राजकु नदी
- (ii) पुलिस थाना (थाने) राजकु नदी जिला (जिले) राजकु नदी राज्य राजकु नदी
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है X राजकु नदी
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई X राजकु नदी
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / थे X राजकु नदी
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं X राजकु नदी

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ~~बढ़ाया गया है~~ / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट ~~किम्मत मचा है~~ / नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं X राजकु नदी
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है X राजकु नदी
- (iii) पुलिस थाना (थाने) X राजकु नदी जिला (जिले) राजकु नदी राज्य राजकु नदी
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है X राजकु नदी
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे X राजकु नदी
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं राजकु नदी

स्थान : राजकुआ
तारीख : 11-01-2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर